

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-03/स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

समाहर्ता, सुपौल के पत्रांक-01, दिनांक-01.01.2026 द्वारा श्री मुकेश कुमार यादव, वरीय उप समाहर्ता, सुपौल को भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर, सुपौल का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है।

2. उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर, सुपौल के पद पर किसी नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक श्री मुकेश कुमार यादव, वरीय उप समाहर्ता, सुपौल को उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर, सुपौल का राजस्व एवं न्यायालयीय कार्य सहित सभी सन्निहित दायित्वों के निर्वहन हेतु शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

संख्या-03/स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/समाहर्ता, सुपौल/ सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

संख्या-03/स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

संख्या-03/स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018.....24.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।